# पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड

## वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत बजट की स्थिति (धनराशि लाख मे)

| क्रम | योजना का नाम | लेखाशीर्षक | वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृति/प्राविधानित धनराशि |
|---|---|---|---|
| | अनुदान संख्या– 19 | | |
| 1 | निदेशालय पंचायतीराज अधिष्ठान | 2515–00–001–04–00 | 389.70 |
| 2 | जिला पंचायत राज अधिकारी अधिष्ठान | 2515–00–101–03–00 | 1661.75 |
| 3 | निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियो का प्रशिक्षण | 2515–00–101–09–10 | 10.00 |
| 4 | वन पंचायत | 2515–00–101–17–00 | 30.16 |
| 5 | जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ | 2515–00–101–18–00 | 109.89 |
| 6 | फील्ड स्टाफ (ग्रा0पं0वि0अधि0/संहा0वि0अधि0) | 2515–00–101–20–00 | 9200.00 |
| 7 | स्वच्छता उत्कृष्ट कार्यो हेतु पुरस्कार | 2515–00–101–22–42 | 65.00 |
| 8 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0) 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश | 2515–00–102–0108–14 | 9000.00 |
| | | 2515–00–102–9508–14 | 1000.00 |
| 9 | (वृहद निर्माण कार्य) पंचायत भवनों का निर्माण | 4515–00–101–02–00–53 | 2500.00 |
| 10 | पंचायत भवनों का अनुरक्षण/जीर्णोधार | 2515–00–101–03–00–52 | 468.00 |
| | योग अनुदान संख्या– 19 | | **24434.50** |
| | अनुदान संख्या– 30 | | |
| 1 | पंचायत भवनों का अनुरक्षण/जीर्णोधार | 2515–00–101–03–00–52 | 112.00 |
| 2 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0) 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश | 2515–00–102–01–08–14 | 3420.00 |
| | | 2515–00–102–9508–14 | 380.00 |
| | योग अनुदान संख्या– 30 | | **3912.00** |
| | अनुदान संख्या– 31 | | |
| 1 | पंचायत भवनों का अनुरक्षण/जीर्णोधार | 2515–00–101–02–00–52 | 20.00 |
| 2 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0) 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश | 2515–00–102–01–08–14 | 540.00 |
| | | 2515–00–102–9508–14 | 60.00 |
| | योग अनुदान संख्या– 31 | | **620.00** |
| | महायोग (अनुदान संख्या– 19, 30 एवं 31) | | **28966.50** |

C.F.O

# आउटकम/परफॉरमेंस बजट 2024–25

## विभाग का नाम– पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड

(धनराशि लाख में)

| क्रम | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आऊट ले/बजट | | 01.04.2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटपुट वर्ष 2024–25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25 | आउटकम हेतु संभावित समयावधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | राज्य सैक्टर | | | | | | | | |
| 1 | पंचायत भवन निर्माण (पूँजीगत) | पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण | – | 2500.00 | राज्य में 7795 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 6765 ग्राम पंचायतों मे पंचायत भवन निर्मित। | 250 पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण प्रायः है। 31 मार्च तक 250 निर्माण उपरान्त राज्य के 7015 ग्राम पंचायतें पं0भ0 से संतृप्त हो जाएगें। | 250 पंचायत भवनों का निर्माण | ग्राम पंचायतो में भवनों को ग्राम पंचायत कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। | मार्च 2025 |
| 2 | पंचायत भवन मरम्मत (राजस्व) | मरम्मत योग्य पंचायत भवनों की मरम्मत कार्य | 600.00 | – | राज्य में 7795 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 1100 पंचायत भवन मरम्मत योग्य है। | वित्तीय वर्ष 2023–24 मे 178 पंचायत भवनों की मरम्मत हेतु रू0 7.12 करोड आवंटित। 31 मार्च तक 178 भवनों की मरम्मत पूर्ण की जाएगी। | 150 पंचायत भवनों की मरम्मत | ग्राम पंचायतो में भवनों को ग्राम पंचायत कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। | मार्च 2025 |
| 3 | निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण (राजस्व) | त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा | 10.00 | – | वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त मदान्तर्गत रू0 5.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। | विभागान्तर्गत नवनियुक्त कार्मिकों ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का क्षमता विकास प्रशिक्षण किया जाएगा। | वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 10.00 लाख की मॉग की गयी है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों/कार्मिकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। | प्रतिनिधि/कार्मिक अपने दायित्वों के निर्वहन मे सक्षम हो सकेगे, साथ ही राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल में कियान्वयन कर पायेगे। | मार्च, 2025 |
| 7 | स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य हेतु स्वच्छता पुरस्कार | ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाएगा। | 65.00 | – | मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नई योजना। | – | प्रत्येक जनपद की 01 ग्राम पंचायत को रू. 5.00 लाख प्रति की दर से पुरस्कृत किया जाएगा। | ग्राम पंचायतें स्वच्छता के क्षेत्र में अधिक जागरूक एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कार्य करेंगी। | मार्च, 2025 |
| | केन्द्र सैक्टर | | | | | | | | |
| 8 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं में | 14400.00 | – | 200 पंचायत भवन निर्माणाधीन, 100 पंचायत भवनों में एक्सटेंशन हॉल | वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 244.96 की | राज्य के लगभग 70,000 त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का विभिन्न | पंचायत प्रतिनिधि मूल भूत अधिकारों एवं दायित्यों के | मार्च, 2025 |

 

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आर0जी0एस0 ए0) | प्रशिक्षणों के माध्यम से समग्र विकास | | | निर्माणाधीन 70000 पंचायत प्रतिनिधियों ,कार्मिकों एवं रेखीय विभागों के अधिकारियों का प्रशिक्षण का लक्ष्य, 2000 प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर एवं 2500 जनप्रतिनिधियों का राज्य के भीतर उत्कृष्ठ पंचायतों का अध्ययन भ्रमण का लक्ष्य, विभागीय प्रचार–प्रसार एवं ए.पी.एम. यू. का मानदेय भुगतान आदि | स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में मार्च 23 तक समस्त 70000 प्रतिनिधियां एवं कार्मिकों को क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 95 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर स्थापना की जाएगी। 2000 प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर एवं 2500 जनप्रतिनिधियों का राज्य के भीतर उत्कृष्ठ पंचायतों का अध्ययन भ्रमण पूर्ण कर लिया जाएगा। | विषयों पर क्षमता विकास प्रषिक्षण कराया जाएगा, जिससे वे अपने दायित्व एवं कर्तव्य, अधिप्राप्ति आदि विशयों की जानकारी प्राप्त कर पंचायत स्तर पर अमल में ला सकेंगे। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर तक क्रियान्व्यिन कर पाएगे, तथा ग्राम पंचायत के कार्य डिजिटल रूप से कर सकेंगे जिससे आम जनमानस भी डिजिटला –ईजेशन की ओर बढ़ेगा। | निर्वहन में सक्षम हो सकेगे। पंचायत प्रतिनिधियों का राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट से अपने कार्यो / योजनाओं का उचित / सकारात्मक आउटपुट प्रदान कर सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त पंचायतों का इन्फ्रास्टकचर बेहतर हो पाएगा। | |

## सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूपः–

| क्रम | SDG संकेतक | 01.04.2023 की स्थिति (भौतिक) | 31.03.2024 को संभावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2024–25 | परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5.2 पंचायतों में कुल निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) |
| 2 | 10.2.2 पंचायतों में महिलाओं द्वारा जीती गई सीटों की संख्या का प्रतिशत | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) |
| | 10.2.4 पंचायतों में एस0सी0 / एस0टी0 द्वारा जीती गयी सीटों की संख्या का प्रतिशत | 23.83 प्रतिशत (16771 भौतिक) | 23.83 प्रतिशत (16771 भौतिक) | 23.83 प्रतिशत (16771 भौतिक) | 23.83 प्रतिशत (16771 भौतिक) |
| 3 | 16.7.2 पंचायतों में कुल निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) | 54.33 प्रतिशत (38227 भौतिक) |
| | 16.7.4 एस0सी0 /एस0टी0 | 23.83 प्रतिशत | 23.83 प्रतिशत | 23.83 प्रतिशत | 23.83 प्रतिशत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| संख्या पंचायतों में प्रतिशत<br>16.9.1 पंजीकृत जन्म प्रतिशत में | (16771 भौतिक)<br>आवेदन के सापेक्ष 100 प्रतिशत | (16771 भौतिक)<br>आवेदन के सापेक्ष 100 | (16771 भौतिक)<br>आवेदन के सापेक्ष 100 | (16771 भौतिक)<br>आवेदन के सापेक्ष 100 |

**विभाग द्वारा किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल– 1.** पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 2017 लागू की गयी है। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन पंचायतों द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान तथा आय के स्वयं के श्रोतों (OSR)/उपभोक्ता शुल्क द्वारा किया जाता है। जनपद देहरादून की 08 ग्राम पंचायतों से मिलकर बने भोगपुर क्लस्टर में इण्डस इण्ड बैंक के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है।

2. **कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लान्टः–**''उत्तराखण्ड पंचायतों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2017'' के क्रम में केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में रू. 6.00 करोड़ की धनराशि से कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग फैसिलिटी' के रूप में सयंत्र/मशीनरी की स्थापना, पैनल, रोड एवं अन्य व्यवस्थाएं की जा चुकी है। इस संयंत्र के संचालन हेतु जिला पंचायत हरिद्वार को अधिकृत किया गया है।
   - विकास खण्ड स्तर पर 95 कॉम्पैक्टर की स्थापना की जानी है जिसके सापेक्ष आतिथि तक 82 कॉम्पैक्टर स्थापित किये जा चुके हैं तथा उक्त कॉम्पैक्टर के माध्य से लगभग 60 टन प्लास्टिक को कॉम्पैक्ट कर रिसाइकिल किया जा सकाता है। माह मार्च, 2024 तक उक्त कार्य शत् प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है।
3. **राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र** (SPRC)– राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण से प्रशिक्षित कार्मिक/प्रतिनिधि अपने कार्यो, कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में सकारात्मक रूप से अमल में ला पायेगें।
4. **डॉ ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना)** के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में शत् प्रतिशत प्लान ई–ग्राम स्वराज पर अपलोड किये गये है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु 31 जनवरी, 2024 तक शत् प्रतिशत प्लान अपलोड कर दिये जाएगें।

1. पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक अॅकाऊण्ट को पंचायतीराज, भारत सरकार द्वारा लागू ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पी एफ एम एस–प्रिआ सॉफ्ट इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु संस्तुत अनुदानों को राज्य कोषागार प्रणाली IFMS के के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तान्तरित की जा रही है। साथ हीडिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तान्तरित की जा रही है।
2. केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु रू. 471.00 करोड़ की संस्तुति की गयी है। उक्त धनराशि से त्रिस्तरीय पंचायतें अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरुप मूलभूत सेवाओं/कार्यो का सम्पादन कर सकेंगें। उक्त के अतिरिक्त स्वच्छता और खुले मे शौच मुक्त (ODF) स्थिति को कायम रखने और पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण आदि संबंधी कार्य कर सकेंगे, जिससे राज्य की समस्त ग्रामीण जनमानस लाभन्वित होगें।
3. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से स्वीकृति के क्रम में राज्य के 1000 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के कार्य डिजिटल रूप से कर सकेंगे जिससे आम जनमानस भी डिजिटलाईजेशन की ओर बढ़ेगा।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से स्वीकृति के कम में राज्य के 650 पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायतें उक्त भवन मे ग्राम पंचायत के बैठके आयोजित कर सकेंगी। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचातय की आधारभूत संरचना मजबूत को पाएगी तथा ग्राम पंचायत का कार्यालय स्थापित होने से सभी ऑनलाईन सेवाओं की प्रदायिगी प्रदान की जा सकेगी।

5. उक्त के अतिरिक्त पंचायतीराज विभाग से निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जा रही है :-

| S/No | Name of the Service (English) | सेवा का नाम (हिन्दी) | सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा (दिनों में) |
|---|---|---|---|
| **Panchayat Related Services** | | | |
| 1 | Add a new family | नया परिवार जोड़ें | 3 |
| 2 | Copy of Parivar register | परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि | 3 |
| 3 | Editing of a family | परिवार संशोधन | 3 |
| 4 | Separation of a family | परिवार पृथक्करण | 3 |
| 5 | Toilet Certificate | शौचालय प्रमाण पत्र | 3 |
| 6 | NOC for private building construction | निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र | 3 |
| **Birth & Death Related Services** | | | |
| 7 | Birth Registration/Certificate within 1 month | जन्म पंजीकरण / प्रमाण पत्र एक माह के भीतर | 3 |
| 8 | Birth Registration/Certificate after 1 month within 1 year | जन्म पंजीकरण / प्रमाण पत्र एक माह के बाद और एक वर्ष के भीतर | 7 |
| 9 | Birth Registration/Certificate after 1 year | जन्म पंजीकरण / प्रमाण पत्र एक वर्ष के बाद | 15 |
| 10 | Death Registration/Certificate within 1 month | मृत्यु पंजीकरण / प्रमाण पत्र एक माह के भीतर | 3 |
| 11 | Death Registration/Certificate after 1 month within 1 year | मृत्यु पंजीकरण / प्रमाण पत्र एक माह के बाद और एक वर्ष के भीतर | 7 |
| 12 | Death Registration/Certificate after 1 year | मृत्यु पंजीकरण / प्रमाण पत्र एक वर्ष के बाद | 15 |

उपरोक्त सेवाओं की समयान्तर्गत प्रदायिगी से राज्य की समस्त ग्रामीण जनसंख्या/जनमानस लाभान्वित हो पायेगे तथा सुशासन का एक ढांचा विकसित हो सकेगा, जिससे भारत सरकार के स्तर से मिलने वाली पुरस्कारों से हमारी पंचायतें पुरस्कृत हो सकेंगी। साथ ही पारदर्शिता से सरकार में जनता का विश्वास बढ़ेगा।